

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग

क्र. प.3(55)नविवि / 3 / 2002

जयपुर, दिनांक 26.09.2015

आदेश

राजस्थान के नगरीय क्षेत्रों में विभिन्न उद्देश्यों के लिए भूमि आवंटन नीति-2015

(Policy for allotment of land for different objects in urban areas of Rajasthan-2015) दिनांक 26.09.2015 को राज्य सरकार द्वारा जारी कर दी गयी है। उक्त नीति के बिन्दू संख्या 3 में शिक्षा एवं स्वारक्ष्य क्षेत्र में प्रीमियर संस्थानों को रियायती दर पर भूमि आवंटन का प्रावधान किया गया है। प्रीमियर संस्थान हेतु भूमि का आकार डी.पी.आर. व किये जाने वाले विनिवेश के आधार पर तय किया जायेगा। प्रीमियर संस्थाओं द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली डी.पी.आर व विनिवेश प्रस्तावों की स्क्रीनिंग बाबत नगरीय विकास एवं आवासन विभाग हेतु निम्नानुसार समिति का गठन किया जाता है :-

1.	अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग	अध्यक्ष
2.	मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान	सदस्य
3.	मुख्य नगर नियोजक (एनसीआर.) राजस्थान	सदस्य
4.	वरिष्ठ नगर नियोजक, नविवि	सदस्य
5.	संयुक्त विधि परामर्शी, नविवि	सदस्य
6.	संबंधित संयुक्त शासन सचिव, नविवि	सदस्य सचिव

उक्त समिति में संबंधित विभागों के सचिव/विभागाध्यक्ष भी विशेष आमंत्रित सदस्य होंगे।

उपरोक्त के अतिरिक्त प्राधिकरण से संबंधित प्रकरणों में प्राधिकरण के सचिव एवं निदेशक (नगर आयोजना), नगर सुधार न्यासों से संबंधित प्रकरणों में सचिव, नगर सुधार न्यास एवं नगर नियोजन से संबंधित अधिकारी समिति में विशेष आमंत्रित सदस्य होंगे।

समिति की सिफारिश माननीय मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग के माध्यम से मंत्रिमण्डल के समक्ष रखी जावेगी। मंत्रिमण्डल द्वारा भूमि की मात्रा, दरों व शर्तों के बारे में जिर्णय लिया जावेगा।

२०११
(अशोक जैन)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव (प्रथम), माननीय मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
5. आयुक्त, अजमेर / जयपुर / जोधपुर विकास प्राधिकरण।
6. संयुक्त शासन सचिव—प्रथम / द्वितीय / तृतीय, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
7. वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी, नगरीय विकास विभाग।
8. वरिष्ठ नगर नियोजक, नगरीय विकास विभाग।
9. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग को उक्त आदेश विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।
10. सचिव, अजमेर / जयपुर / जोधपुर विकास प्राधिकरण।
11. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
12. मुख्य नगर नियोजक (एनसीआर), राजस्थान, जयपुर।
13. सचिव, नगर विकास न्यास (समस्त)।
14. रक्षित पत्रावली।

३१/१५
संयुक्त शासन सचिव—द्वितीय